Result Mitra Daily Current Affairs

राज्यपाल को प्राप्त प्रतिरक्षा का अधिकार

➢ हालिया सन्दर्भ :-

- सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने राज्यपाल को प्राप्त "संवैधानिक प्रतिरक्षा" की रूपरेखा को परिभाषित करने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली है और 12 अगस्त को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है।
- संविधान का अनुच्छेद-361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को आपराधिक अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करता है तथा उनके द्वारा दिये गये कार्यों को किसी भी न्यायिक जाँच से रोकता है।
- चूँकि यह मामला राज्य के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका से संबंधित है इसलिए SC ने भारत के अटार्नी जनरल (महान्यायवादी) आर. वेंकटरमणी को इस पर विचार करने के लिये कहा है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड, न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने पश्चिम बंगाल के राजभवन के एक महिला संविदा कर्मी द्वारा लाए गए याचिका पर इस मामले का संज्ञान लिया।
- महिला ने राज्य के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस पर यौन उत्पीडन का आरोप लगाया है।

➢ संवैधानिक प्रतिरक्षा :-

- अनुच्छेद-361 में वर्णित है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिये अथवा ऐसे शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन में उनके द्वारा किये गए कार्यों या उनके द्वारा दिये जाने का दावा किये जाने वाले किसी भी कार्य के

लिये वह न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, बशर्ते कि संसद द्वारा या राज्यपाल के मामले में राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाये जाने से संबंधित मामला न हो।

- अनुच्छेद-361 में प्रावधान है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया या आपराधिक प्रक्रिया उसके पद पर रहते हुए शुरू या जारी नहीं की जा सकती।

➢ न्यायालय में मामला :-

- अनुच्छेद -361(2) और 361(3) में वर्णित "आपराधिक प्रक्रिया" या "गिरफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया" की व्याख्या करना अब SC के समक्ष है।
- SC इस तथ्य पर विचार करेगा कि क्या उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया में FIR दर्ज करना, प्रारंभिक जाँच शुरू करना या मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेना भी शामिल है अथवा नहीं है।
- अपने आदेश में SC ने कहा कि अनुच्छेद-361(2) की व्याख्या निर्धारण करने के लिये उत्पन्न होती है, विशेषकर तब जब आपराधिक कार्यवाही को "संस्थागत" माना जाएगा।

➢ याचिकाकर्ता का तर्क :-

- याचिकाकर्ता ने तर्क देते हुए कहा कि यदि राज्यपाल बोस के खिला पद पर बने रहने तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है, इससे उसके अधिकारों का उल्लंघन होगा, साथ ही वे मामले से संबंधित साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं।

➢ संविधान सभा में चर्चा :-

- राज्यपाल और राष्ट्रपति को दिए गए प्रतिरक्षा की उत्पत्ति लैटिन वाक्यांश मैक्सिम रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकरे (Maxim rex non potest peccare) अर्थात "राजा कभी गलत नहीं हो सकता" से संबद्ध किया जा सकता है। ऐसी अवधारणा ब्रिटिश कानूनों में निहित है।
- संविधान सभा के 8 Sep 1949 को अनुच्छेद-361 (तब अनुच्छेद 302) पर चर्चा शुरू की।
- सभा के सदस्य एच. बी. कामथ ने पूछा कि क्या यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई अपराध करते हैं तो अनुच्छेद के तहत क्या पूरे निर्धारित कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है ? अथवा इसका (अनुच्छेद का) अर्थ यह है कि जब तक वे पद पर है तब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

नोटः- निर्धारित कार्यकाल का सामान्य अर्थ 5 वर्षों से है जबकि पद पर बने रहना, शब्द इसलिये अलग है कि दोनों में से किसी को भी कभी भी पद से हटाया जा सकता है।

Result Mitra

- अर्थात राष्ट्रपति को दोनों सदनों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके तथा राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा।
- एच. बी. कामथ ने यह भी पूछा कि क्या यदि किसी राज्यपाल/ राष्ट्रपति के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक मामला बनता है, तो राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति को पद से हटा देना चाहिये ?
- हालांकि संविधान सभा ने इन प्रश्नों का जवाब ढूंढे बिना ही प्रावधान को अपना लिया।

➢ पूर्व के मामले :-

1. कल्याण सिंह बनाम संघ मामला :

- SC ने 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले से संबंधित 2017 के एक आपराधिक मामले में "प्रतिरक्षा" की व्याख्या की थी।
- अपने आदेश में SC ने कहा था कि राज्यपाल होने के नाते (2018 में कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे) कल्याण सिंह अनुच्छेद-361 के तहत प्रदत्त "उन्मुक्ति" के हकदार हैं और वे तब तक इन उन्मुक्तियों के भागी रहेंगे, जब तक वे राजस्थान के राज्यपाल बने रहेंगे।
- SC ने कहा कि राज्यपाल के पद से हटते ही सत्र न्यायालय उनके खिलाफ आरोप तय करेगा एवं कारवाई कर सकेगा।

2. व्यापम घोटाला मामला (2015) :

- व्यापम घोटाले मामले में मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल रामनरेश यादव भी एक आरोपी थे।
- इस मामले में मध्य प्रदेश HC को यह निर्धारित करना था कि क्या राज्यपाल के खिलाफ FIR दर्ज करना, मामले में आपराधिक कार्यवाही के बराबर होगा ?
- HC ने अपने फैसले में राज्यपाल के अलावा अन्य आरोपियों के FIR जाँच की अनुमति दी, लेकिन FIR में से राज्यपाल के पद पर रहने तक उनका नाम FIR सूची से हटा दिया गया।
- HC ने कहा कि अनुच्छेद-361(2) किसी राज्य प्रमुख के खिलाफ किसी भी दुर्भावनापूर्ण प्रचार या अभियान से उन्हें पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देता है।
- रामनरेश यादव की 2016 में मृत्यु हो गई इसलिये HC के फैसले को SC में चुनौती नहीं दी गई।
- **रामेश्वर प्रसाद VS भारत :**
- इस मामले में SC को 2005 में बिहार विधानसभा को भंग किये जाने की सिफारिश के बाद सिविल मामलों में "प्रतिरक्षा" की व्याख्या करनी पडी।

Result Mitra TM

- SC ने कहा कि 361(2) के तहत राज्यपाल को अपनी शक्तियों के निर्वहन के संबंध में पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त है, लेकिन दुर्भावनापूर्ण आधार पर की गई कार्यवाही की वैधता की जाँच का अधिकार न्यायालय के पास है।
- इस मामले में SC ने राज्यपाल द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों के निर्वहन करने में की गई कारवाईयों की जाँच की।

➢ USA के SC का फैसला :-

- हाल ही में USA के SC ने डोनाल्ड ट्रंप पर लगे आरोप पर फैसला सुनाते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप या अन्य कोई भी पूर्व राष्ट्रपति आधिकारिक कृत्यों के लिए किसी भी आपराधिक अभियोजना कार्यवाही से पूर्ण स्वतंत्र है।
- दरअसल ट्रंप पर यह आरोप लगा था कि 2020 में पद रहते हुए उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने का कथित तौर पर प्रयास किया था।

➢ राज्यपाल का विशेषाधिकार :-

- राज्यपाल को शासकीय कृत्यों के विधिक दायित्वों से निजी उन्मुक्तियाँ प्राप्त है।
- अपने पदावधि के दौरान राज्यपाल को आपराधिक कार्यवाही, चाहे वह व्यक्तिगत क्रियाकलाप ही क्यों न हो, पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है।
- इसके लिए न तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही उसे कारावास हो सकती है।

नोट :-

1. पदावधि के दौरान उसके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए सिविल मामले (नागरिक कानून संबंधी) में उसके खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए 2 महीने पूर्व उन्हें नोटिस भेजा जाना अनिवार्य है।

2. राष्ट्रपति को भी समान उन्मुक्तियाँ प्राप्त है।

➢ महान्यायवादी

- Art- 76 में प्रावधान
- देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी, लेकिन कानून मंत्री नहीं
- राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण,
- राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान,
- अर्हताओं में -

1. भारत का नागरिक हो एवं

Result Mitra

2. किसी HC में 5 वर्षों या ज्यादा समय तक जज रहा हो या किसी HC में 10 वर्ष तक वकील रहा हो या राष्ट्रपति की मत में न्यायिक मामलों का जानकार हो, शामिल है।

नोट :- महान्यायवादी ही एक मात्र ऐसा व्यक्ति है, जो बिना संसद के भाग होते हुए भी दोनों सदनों की कार्यवाही में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है।

Result Mitra